



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: <http://www.upavp.com> E-mail: [upavp@sanchar.net.in](mailto:upavp@sanchar.net.in)

सेवोत्तम अनुवर्ती

## आवश्यक सूचना

### माह मार्च-2013 में सम्मिलित होने वाली सम्पत्तियों का विवरण

क्र० सं०	सम्पत्ति श्रेणी	सम्पत्ति प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	मूल्य (लाख में)	पात्रता
<b>आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी पद्धति द्वारा</b>						
<b>अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 कानपुर फेज-द्वितीय</b>						
1	HIG	97/242	3/1501/1, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1561, 1562, 1563, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717	242.00 to 513.70	35,45,000.00 to 68,01,600.00	पंजीकरण वर्ष 2010 के चयनित पंजीकृत आवेदक

नोट:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में दिनांक 14.03.2013 को प्रकाशित विज्ञापित कानपुर जोन के अन्तर्गत आवासी/अनावासीय सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी हेतु तिथि दिनांक 30.03.2013 निर्धारित है। उक्त तिथि को पंजीकरण वर्ष 2010 के उच्च आय वर्ग 97/242 प्रकार के चयनित पंजीकृत आवेदकों के मध्य नवनिर्मित 97/242 प्रकार के भवनों का आवंटन लाटरी पद्धति से किया जायेगा। सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में जहाँ है जैसी है के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार व स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टैम्प ड्यूटी पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख उपरान्त किया जायेगा। सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) के अन्तर्गत देखी जा सकती है। समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम व शर्तें प्रभावी होंगी किसी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। शेष नियम व शर्तें दिनांक 14.03.2013 में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार होंगी।

आवास आयुक्त

परिषद से सम्बन्धित समस्या हमसे कहें

डायल करें:



1800-180-5333 (टोल-फ्री)  
0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।